संख्या-38/2026/323/छप्पन-2026-56-1009(003)/1/2022

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2026

विषय: राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स०पी० पर कै० मोहित चतुर्वेदी को इनिशियल टाइप रेटिंग ट्रेनिंग के साथ अतिरिक्त ट्रेंनिग पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-428/ना0उ0नि0/आप्स-19/2016, दिनांक 17 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मेसर्स सी०ए०ई० दुबई की ई-मेल दिनांक 05 जनवरी, 2026 के दृष्टिगत हॉकर वायुयान के सिमुलेटर पर कै० मोहित चतुर्वेदी की Initial Type Rating Training के अतिरिक्त अन्य ट्रेनिंग (CRM, 06 Take off & Landings, UPRT, Differences Training to 75/850/900XP & RHS PPC) वांछित अतिरिक्त प्रशिक्षण शुल्क रू0 12,00,150/- (13,335 यू०एस०डी०) के सापेक्ष रू0 7,12,530 /- (7,917-यू०एस०डी०) की स्वीकृति के उपरान्त शेष धनराशि रू0 4,87,620 /- (5,418 यू०एस०डी०) के अग्रिम आहरण व भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- नागरिक उड्डयन निदेशालय के पत्र संख्या 05/ना0उ0नि0/आप्स-19/2016 दिनांक 09 जनवरी, 2026 के क्रम में शासनादेश संख्या 17/2026/48(2)/छप्पन-2026 दिनांक 16 फरवरी, 2026 तथा शासनादेश संख्या 18/2026/48/छप्पन-2026 दिनांक 16 फरवरी, 2026 द्वारा कै० मोहित चतुर्वेदी, पायलट (फिक्स्ड विंग) की Initial Type Rating Training के अतिरिक्त अन्य ट्रेनिंग (CRM, 06 Take off & Landings, UPRT, Differences Training to 75/850/900XP & RHS PPC) की अवधि दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 से 09 दिसम्बर, 2025 हेतु अतिरिक्त प्रशिक्षण शुल्क रू0 7,12,530 (7,917 यू०एस०डी०) व अनुषांगिक व्यय (दैनिक भत्ता के होटल किराया एवं यात्रा भत्ता) मद में कुल वांछित धनराशि रू0 2,59,200/- अर्थात कुल धनराशि रू0 9,71,730/- के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मेसर्स सी0ए0ई0 दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में हॉकर वायुयान के सिमुलेटर पर कै0 मोहित चतुर्वेदी, पायलट (फिक्स्ड विंग) की Initial Type Rating Training के अतिरिक्त अन्य ट्रेनिंग (CRM, 06 Take off & Landings, UPRT, Differences Training to 75/850/900XP & RHS PPC) वांछित अतिरिक्त प्रशिक्षण शुल्क रू0 4,87,620/- (रूपए चार लाख सत्तासी हजार छ: सौ बीस मात्र) (5,418 यू०एस०डी०) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वाहन क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों/विनियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 38/2026/323(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 वित्त (लेखा) अनुभाग-1

5- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।

6- सम्बन्धित अधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।